रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 524] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1975/पौष 10, 1897
No. 524] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER, 31, 1975/PAUSA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1975

S. O. 745(E).—In exercise of the powers conferred by section 114 read with sub-section (6) of section 27 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gold Control)Licensing of Dealers) Rules, 1969, namely:—

1. (1)These rules may be called the Gold control (Licensing of Dealers) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Gold Control (Licensing of Dealers) Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2—

(a) in clause (d), after the words "had been cancelled", the words "or not renewed" shall be inserted;

(b) in clause (f), in the proviso, after item (c), the following item shall be inserted, namely:—

"(d) a person of Indian origin who has been a dealer outside India for not less than three years prior to his repatriation and who had to close his business and repatriate to India."

3. In rule 3 of the said rules—

(a) for the heading "Matters to be considered for the renewal of the licence", the following heading shall be substituted, namely;

"Conditions for the renewal of a licence"

(b) in clause (a), after the words "at least one month", the words "and not more than two months" shall be inserted;

(c) for clause (ee), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ee) that the applicant has been a wholesale dealer in standard gold bar, article or ornament, or the turnover of the applicant with persons, other than licensed dealers, in the twelve months immediately preceding the date of application for renewal of the licence was not too low.

Explanation I.—For the purposes of this clause, turnover shall be deemed to be too low if it is on the average, not more than fifty grammes per month except where the applicant satisfies the Administrator that there are sufficient reasons for an average monthly turnover of lower than fifty grammes.

Explanation II.—For the purposes of these rules 'turnover' means—

(a) sale of ornaments and articles;

(b) remaking of another person's ornaments and articles.".

[No. F. 131/34/75-GC.II—21/75.]

M. G. ABROL, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975

का० आ० 745(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 27 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वर्ण नियंत्रण (व्यौहारियों का अनुज्ञापन) नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम स्वर्ण नियंत्रण (व्यौहारियों का अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वर्ण नियंत्रण (व्यौहारियों का अनुज्ञापन) नियम, 1969 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 में—

(क) खण्ड (क) में "रद्द कर दिया गया था" शब्दों के पश्चात् "अथवा नवीकृत नहीं किया गया है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खण्ड (च) में, परन्तुक में मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(घ) भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अपनी स्वदेश में वापसी के पूर्व कम से कम तीन वर्ष तक भारत के बाहर व्यौहारी रहा हो और जिसे अपना व्यापार बन्द करना पड़ा हो और भारत वापस आना पड़ा हो ।"

3. उक्त नियमों के नियम 3 में—

(क) "अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए विचारयोग्य विषय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्—

"अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें"

(ख) खण्ड (क) में, "कम से कम एक मास" शब्दों के पश्चात् "और अधिक से अधिक दो मास" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खण्ड (ङङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ङङ) आवेदक मानक स्वर्ण शलाकाओं, वस्तुओं और आभूषणों का थोक व्यौहारी रहा है, या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास में आवेदक का, अनुज्ञप्त व्यौहारियों से भिन्न व्यक्तियों के साथ आवर्त बहुत कम नहीं था ।

स्पष्टीकरण 1.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए आवर्त को बहुत कम समझा जाएगा यदि वह औसतन प्रति मास 50 ग्राम से अधिक नहीं हो सिवाय तब के जब आवेदक प्रशासक का यह समाधान कर देता है कि 50 ग्राम से कम मासिक औसत आवर्त के लिए यथेष्ट कारण थे ।

स्पष्टीकरण 2.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "आवर्त" से अभिप्रेत है:—

(क) आभूषणों और वस्तुओं का विक्रय;

(ख) अन्य व्यक्तियों के आभूषणों और वस्तुओं का पुनः तैयार किया जाना ।"

[सं० फा० 131/34/75-जीसी II—21/75]

एम० जी० एब्रोल, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975